भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *40

गुरुवार, 28 नवम्बर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक)

देश में महिलाओं के रोजगार की स्थिति

***40. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अकुशल, स्वनियोजित और बेरोजगार महिलाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मंडाविया)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"देश में महिलाओं के रोजगार की स्थिति" के संबंध में डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू द्वारा दिनांक 28-11-2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *40 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी पर डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है जो 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि हर साल जुलाई से जून है। यह डेटा प्रमुखता से देश में विभिन्न श्रेणियों की आर्थिक गतिविधियों में महिला भागीदारी में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। व्यापक तौर पर पैरामीटर निम्नलिखित रुझानों की ओर इशारा करते हैं:

i. महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर): वर्ष 2017-18 के 22% से दोगुना होकर वर्ष 2023-24 में 40.3% हो गया**;**

ii. महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर): वर्ष 2017-18 में 23.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गई**;**

iii.बेरोज़गारी दर: वर्ष 2017-18 में 5.6% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई।

इसके अलावा पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार**,** स्नातकोत्तर और उससे अधिक शैक्षणिक स्तर की कुल महिलाओं में से 2017-18 में 34.5 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में लगभग 39.6 प्रतिशत महिलाएं कामकाजी हैं। वहीं**,** 2023-24 में हायर सेकेंडरी शैक्षणिक स्तर की महिलाओं में से 2017-18 में 11.4 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में लगभग 23.9 प्रतिशत महिलाएं कार्यबल में शामिल हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर)**, 15** वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और राज्य-वार सकल नामांकन अनुपात क्रमशः अनुबंध **I, II** और **III** में दिया गया है।

रोजगार सृजन के साथ-साथ महिलाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों सहित अन्य रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

कुछ पहलों विशेषकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं- किरण (वाइज-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन आदि के अंतर्गत भी महिला एलएफपीआर में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) की शुरुआत से लेकर 31.10.2024 तक महिलाओं सहित प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 1.57 करोड़ है।

इसके अतिरिक्त, 'स्टैंड अप इंडिया' उपेक्षित समुदायों सहित महिलाओं को ऋण प्रदान करता है। *लगभग 9 करोड़ महिलाओं को जमानत-मुक्त प्रावधानों सहित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है।*

सरकार ने महिला कामगारों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य-स्थल वातावरण प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों में अनेक प्रावधान जैसे वैतनिक मातृत्व अवकाश, कार्य के लचीले घंटे, समान मजदूरी आदि भी शामिल किए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की। अन्य नीतिगत उपायों के अतिरिक्त, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए बजट में उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल और शिशु गृह स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।

***

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 28.11.2024 के तारांकित प्रश्न संख्या *40 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर (यूआर) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विवरण

(% में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	3.7
2	अरुणाचल प्रदेश	6.2
3	असम	4.1
4	बिहार	1.4
5	छत्तीसगढ	2.4
6	दिल्ली	1.5
7	गोवा	16.7
8	गुजरात	1.0
9	हरियाणा	2.2
10	हिमाचल प्रदेश	7.8
11	झारखंड	0.5
12	कर्नाटक	1.9
13	केरल	11.6
14	मध्य प्रदेश	0.7
15	महाराष्ट्र	2.7
16	मणिपुर	7.7
17	मेघालय	8.2
18	मिजोरम	2.4
19	नागालैंड	7.1
20	ओडिशा	2.7
21	पंजाब	6.9
22	राजस्थान	4.0
23	सिक्किम	2.1
24	तमिलनाडु	3.8
25	तेलंगाना	5.0
26	त्रिपुरा	1.6
27	उत्तराखंड	4.1
28	उत्तर प्रदेश	2.5
29	पश्चिम बंगाल	3.0
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20.9
31	चंडीगढ़	15.3
32	दादरा एवं नगर हेवेली तथा दमन और दीव	1.1
33	जम्मू एवं कश्मीर	9.7
34	लद्दाख	8.8
35	लक्षद्वीप	34.1
36	पुडुचेरी	5.9
अखिल भारत		**3.2**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 28.11.2024 के तारांकित प्रश्न संख्या *40 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष की आयु की महिलाओं का लिए राज्य-वार कामगार जनसंख्या अनुपात

(% में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
आंध्र प्रदेश	41.8	44.0	43.1
अरुणाचल प्रदेश	28.2	56.0	62.4
असम	26.8	19.6	48.1
बिहार	9.9	22.0	30.1
छत्तीसगढ	50.6	58.6	58.1
दिल्ली	11.5	14.5	18.3
गोवा	16.6	24.0	24.4
गुजरात	33.9	41.7	45.6
हरियाणा	17.4	19.7	23.6
हिमाचल प्रदेश	63.8	67.6	62.3
झारखंड	44.8	45.5	49.6
कर्नाटक	31.0	37.2	37.2
केरल	32.0	33.5	36.0
मध्य प्रदेश	40.6	43.8	51.9
महाराष्ट्र	37.3	39.8	39.1
मणिपुर	20.3	29.9	45.0
मेघालय	48.4	56.0	65.9
मिजोरम	32.0	43.8	40.7
नागालैंड	46.4	62.9	59.7
ओडिशा	31.4	43.6	48.0
पंजाब	21.9	25.2	28.9
राजस्थान	39.0	46.5	48.9
सिक्किम	56.5	66.4	66.8
तमिलनाडु	39.1	38.6	41.5
तेलंगाना	42.6	43.1	44.3
त्रिपुरा	25.5	34.8	46.3
उत्तराखंड	31.6	37.0	43.7
उत्तर प्रदेश	25.8	30.6	33.6
पश्चिम बंगाल	27.4	33.1	39.2
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	39.2	39.8	36.7
चंडीगढ़	15.5	20.8	26.2
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	39.4	35.4	46.0
जम्मू एवं कश्मीर	41.1	46.9	47.1
लद्दाख	45.8	55.6	47.1
लक्षदवीप	10.9	14.8	11.3
पुदुचेरी	34.4	31.6	32.2
अखिल भारत	**31.7**	**35.9**	**40.3**

स्रोत: पीएलएफएस *2023-24*, एमओएसपीआई

अनुबंध-III

राज्य सभा के दिनांक 28.11.2024 के तारांकित प्रश्न संख्या *40 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्यवार जीईआर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 2021-22

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	समस्त		
		पुरुष	महिला	सभी
	भारत	28.3	28.5	28.4
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	19.8	25.7	22.6
2	आंध्र प्रदेश	37.7	35.2	36.5
3	अरुणाचल प्रदेश	38.4	34.5	36.5
4	असम	16.2	17.6	16.9
5	बिहार	17.8	16.3	17.1
6	चंडीगढ़	56.8	75.4	64.8
7	छत्तीसगढ	17.6	21.6	19.6
8	दिल्ली	48.3	49.7	49
9	गोवा	36	35.5	35.8
10	गुजरात	25.2	22.7	24
11	हरियाणा	30.3	37	33.3
12	हिमाचल प्रदेश	37.3	49.7	43.1
13	जम्मू और कश्मीर	22.6	27.2	24.8
14	झारखंड	18.6	18.7	18.6
15	कर्नाटक	36.1	36.3	36.2
16	केरल	34.1	49	41.3
17	लद्दाख	7.5	16.4	11.5
18	लक्षद्वीप	0.3	1.9	1.1
19	मध्य प्रदेश	29.7	28	28.9
20	महाराष्ट्र	37.1	33.3	35.3
21	मणिपुर	35.3	35.5	35.4
22	मेघालय	22.7	28.1	25.4
23	मिजोरम	31.4	33.2	32.3
24	नागालैंड	16.5	21.2	18.8
25	ओडिशा	23.5	20.6	22.1
26	पुडुचेरी	61	62.1	61.5
27	पंजाब	25.2	30.1	27.4
28	राजस्थान	29	28.1	28.6
29	सिक्किम	35.1	42.5	38.6
30	तमिलनाडु	46.8	47.3	47
31	तेलंगाना	38.5	41.6	40
32	दादरा एवन नगर हवेली तथा दमन और दीव समूह	8.6	16.6	11.2
33	त्रिपुरा	21.9	19.5	20.7
34	उत्तर प्रदेश	23.9	24.4	24.1
35	उत्तराखंड	40.1	43.7	41.8
36	पश्चिम बंगाल	25.9	26.8	26.3

स्रोत: एआईएसएचई 2021-22, शिक्षा मंत्रालय